HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 1438] No. 1438] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2012/श्रावण 12, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2012/SHRAVANA 12, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2012

का.आ. 1737(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री डी. दीप्तिविलास, अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सी. के. खेतान, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री संतोष डी. वैद्य, विशेष सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है तथा इस उद्देश्य के लिए, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से मृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 101(अ), में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 4 के उप-पैरा (ग) में मद संख्या (ii), (iii) और (v) एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- "(ii) श्री डी. दीप्तिविलास अपर सचिव शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार;
- (iii) श्री सी. के. खेतान संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत संस्कार;

(v) श्री संतोष डी. वैद्य विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।"

[फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-11]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी, 2011 की सं. का.आ. 101(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गयी थी तथा बाद में दिनांक 24 जून, 2011 की सं. का.आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 की सं. का.आ. 1628(अ), तथा दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की सं. का.आ. 835(अ), के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2012

S.O. 1737(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri D. Diptivilasa, Additional Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, Shri C. K. Khaitan, Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India and Shri Santosh D. Vaidya, Special Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi as members of the New Delhi Municipal Council, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 101(E), dated the 18th January, 2011, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in paragraph 4, in subparagraph (c), for item numbers (ii), (iii) and (v) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:—

- "(ii) Shri D. Diptivilasa
 Additional Secretary
 Ministry of Urban Development
 Government of India;
- (iii) Shri C. K. Khaitan
 Joint Secretary
 Ministry of Urban Development
 Government of India;

(v) Shri Santosh D. Vaidya
Special Secretary
Government of National Capital Territory of Delhi,".

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]
K. K. PATHAK, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 101 (E), dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide number S.O. 1453 (E), dated the 24th June, 2011, number S.O. 1628 (E), dated the 14th July, 2011 and number S.O. 835 (E), dated the 17th April, 2012.